प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1.जिला **ओपी एसीबी, विअनुई. जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2023**.....
प्र0इ0रि0 सं. 32/2023 दिनांक 9/2/2023

2. (I) * अधिनियम–**पी0सी0 एक्ट1988 (यथा संशोधित एक्ट 2018)** धारायें...**7,8. व 11**
(II) *अधिनियम .....**भारतीय दण्ड संहिता**.....धारायें .....**120बी**.....
(III) * अधिनियम ..... धारायें .....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....161..... समय 3:45 P.M
(ब) * अपराध घटने का वार...**मंगलवार**.....दिनांक **07.02.2023** समय **01.25** पी.एम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 07.02.2023

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक– **लिखित सुत्र सूचना**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– पश्चिम–उत्तर **दिशा में करीब 05 कि.मी.**
(ब) *पता –**राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0 विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर।**
.....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम..... श्री राजेश दुरेजा .....
(ब) पिता/पति का नाम .....
(स) जन्म तिथी/वर्ष .....
(द) राष्ट्रीयता .....**भारतीय**.....
(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .....
जारी होने की जगह .....(र)
व्यवसाय .....**उप अधीक्षक पुलिस तकनीकी शाखा भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर।** .....
(ल) पता.....

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1–श्री कुंज बिहारी गुप्ता पुत्र स्व0 श्री लड्डूराम गुप्ता, उम्र 55 साल, जाति महाजन, निवासी ग्राम बरनाला, तहसील एवं थाना बामणवास, जिला सवाईमाधोपुर हाल निवासी–16, राधा विहार, प्रताप नगर, पुलिस थाना प्रताप नगर, जयपुर हाल अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0 विद्युत भवन, जयपुर।

2–श्री कल्पवन व्यास पुत्र श्री नन्द किशोर व्यास, जाति– ब्राहम्ण, उम्र–42, निवासी– ए–96, सुभाष नगर, भीलवाडा हाल ठेकेदार, गीतान्जली ईलेक्ट्रीकल्स, भीलवाडा।

3– श्री जिनन जैन पुत्र स्व. श्री नटवर लाल, जाति–जैन उम्र–54 वर्ष निवासी–मकान नम्बर–117ए, शास्त्रीनगर, नियर 2 ब्लॉक सेक्टर–14,उदयपुर हाल–अधिषाशी अभियन्ता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,उदयपुर।

4–श्री विपिन कुमार पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद, जाति–राजपुत उम्र–39 वर्ष मूल निवासी–निकट सरकारी अस्पताल, मौहल्ला भूपसिंह, जीजीआईसी रोड़,जसपुर जिला–उधमसिंह नगर,उत्तराखण्ड हाल निवासी–सरकारी आवास क्वार्टर नम्बर–आर 4/1,न्यू आरएसईबी कॉलोनी,चित्रकुट नगर,उदयपुर हाल–कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय 132 केवी जीएसएस सुखेर उदयपुर, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,उदयपुर।

5–श्रीमती ममता मेहता पत्नी डा. अश्वनी बाली,उम्र–51 वर्ष जाति–ब्राहमण निवासी–आर 2/2 चम्बल कॉलोनी,हवा सड़क पुलिस थाना सोडाला जयपुर हाल–अधिषाशी अभियन्ता (डिजायन) कार्यालय एसई डिजाइन,राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,जयपुर।

6–श्री पृथ्वीसिंह पुत्र श्री किशन सिंह, उम्र–55 वर्ष निवासी–आर–3/13, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमि.कॉलोनी हीरापुरा, जयपुर।

7–एवं अन्य

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....NILL.....
.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....**रिश्वती राशि 1,75,000/– रूपये** .....

10. * चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... **रिश्वती राशि 1,75,000/– रूपये**

11. * पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 07.02.2023 को श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई,भ्रनिब्यूरो, जयपुर के नाम से पृष्ठांकित ब्यूरो मुख्यालय की तकनीकी शाखा के श्री राजेश दुरेजा, उप अधीक्षक पुलिस की गोपनीय सूत्र सूचना अग्रिम कार्यवाही किये जाने के संबंध में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक के नाम पृष्ठांकित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द करने पर प्राप्त हुई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गोपनीय सूत्र सूचना का अवलोकन किया गया। श्री राजेश दुरेजा, उप अधीक्षक पुलिस, तकनीकी शाखा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने इस आशय की पेश की, कि–विश्वस्त सूत्रों से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में पदस्थापित विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कान्ट्रेक्टरों के माध्यम से उन्हें, उनसे सम्बन्धित कार्यो में अनुचित लाभ पहुंचाया जाकर रिश्वत राशि प्राप्त की जा रही है। उक्त सूचना का श्री लक्ष्मणनारायण हैडकानि एवं श्री संजय चौधरी कानि. द्वारा गोपनीय सत्यापन किया गया तो प्रकट हुआ कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा श्री कल्पन व्यास, फर्म–गीताजंली इलैक्ट्रिकल्स के माध्यम से स्वयं के लिये और आरवीपीएनएल में कार्य कर रहे अन्य ठेकेदारों को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिये मिलीभगत कर, अवैध संरक्षण प्रदान करते हुए नियमित रूप से रिश्वत राशि प्रदान की जा रही है। इस पर श्री हिम्मत सिंह, कानि. द्वारा श्री कल्पवन व्यास द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मोबाईल नं. 9413120867 व 9001120867 तथा श्री विपिन कुमार, अभियन्ता द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मोबाईल नं. 9411001111 तथा 9413382393 का तकनीकी विश्लेषण किया गया तो इनका आपसी सम्पर्क होना, साथ ही राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अन्य अधिकारियों से भी निरन्तर सम्पर्क होना प्रकट हुआ। गोपनीय सत्यापन एवं तकनीकी विश्लेषण से सूचना के तथ्यों की पुष्टि होने पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरान्त उक्त दोनों व्यक्तियों के मोबाईल नम्बर को अन्तावरोध पर लिया जाकर श्री लक्ष्मणनारायण शर्मा, हैडकानि व श्री संजय चौधरी, कानि. द्वारा सुना गया। अन्तावरोध वार्ताओं में प्रकट हुआ कि श्री कल्पवन व्यास, फर्म–गीताजंली इलैक्ट्रिकल्स द्वारा स्वयं तथा और आरआरवीपीएनएल में कार्य कर रहे अन्य ठेकेदारों के कार्यो को अनुचित संरक्षण प्रदान करने के लिये आरआरवीपीएनएल के अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत कर, अवैध संरक्षण प्रदान करते हुए रिश्वत राशि प्रदान कर रहे है, अन्तावरोध वार्ताओं में यह भी प्रकट हुआ कि श्री कल्पन व्यास तथा श्री विपिन कुमार द्वारा विभाग में पदस्थापित अभियंताओं के स्थानान्तरण के लिये भी अन्य कार्मिकों से रिश्वत राशि प्राप्त की जाकर स्थानान्तरण करवाये जा रहे और स्वयं विपिन कुमार द्वारा भी अपने स्थानान्तरण के लिये रिश्वत राशि प्रदान कर इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण करवाया जा रहा है। इस कार्य में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड मुख्यालय में पदस्थापित अधिकारी श्री कुंजबिहारी गुप्ता मोबाइल नंबर 9413382625 तथा 8949188594 भी शामिल हैं। इस आधार पर श्री कुंजबिहारी गुप्ता के उपरोक्त नंबरों को भी अंतावरोध पर लिया गया। उक्त सूत्र सूचना में श्री राजेश दुरेजा द्वारा अन्तावरोधन पर लिये गये नम्बरों पर हुई वार्ताओं का उल्लेख करते हुए लिखा गया कि इन वार्ताओं तथा अन्य अन्तावरोध अवधि की वार्ताओं को सुनने पर प्रकट हुआ कि कल्पन व्यास द्वारा राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमि. में पदस्थापित श्री विपिन कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता तथा श्री कुंजबिहारी गुप्ता से मिलीभगत कर षडयंत्रपूर्वक कर्मचारियों के इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से उच्चाधिकारियों के नाम से रिश्वत राशि प्राप्त की जा रही है। श्री विपिन कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमि. के विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित पृथक पृथक कार्मिकों से मिलीभगत करते हुए, षडयंत्रपूर्वक विभागीय परिसर में रखे सुरक्षित माल में से कंडक्टर, अर्थ वायर और अन्य उपयोगी सामग्री चोरी करवाकर अपने जानकार कबाडियों को विक्रय करता है और इन सभी कार्मिकों द्वारा राजकोष को भारी हानि पहुंचाई जा रही हैं। श्री कुंजबिहारी गुप्ता द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से उच्चाधिकारियों के नाम से तथा विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से

फाइलों में मनमाफिक काम करवाने के बदले में रिश्वत राशि प्राप्त की जा रही है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त सम्बन्धित संलिप्त व्यक्तियों एवं लोकसेवकों को रिश्वत राशि का लेन देने करते समय पकडने पर राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमि. में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार को उजागर किया जाना एवं रिश्वत राशि की भारी मात्रा में बरामदगी किया जाना संभव हो सकता है। उक्त सूत्र सूचना विश्वनीय होने से ब्यूरो के उच्चाधिकारियों द्वारा आज दिनांक 07.02.2023 को मन पुलिस निरीक्षक को एसीबी ब्यूरो की तकनीकी अनुभाग टीम के साथ सामंजस्य बनाते हुवे कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये। श्री राजेश दुरेजा द्वारा प्रस्तुत उक्त सूत्र सूचना पर उनसे सम्पर्क किया तो उन्होंने श्री लक्ष्मण नारायण हैड कानि0 15 से सम्पर्क करने की कहने पर श्री लक्ष्मण नारायण हैड कानि0 से सम्पर्क किया तो श्री लक्ष्मण नारायण हैड कानि0 ने स्वयं को विद्युत भवन, जनपथ उपस्थित होना बताया तथा उक्त गोपनीय सूत्र सूचना में संदिग्ध आरोपीगणों द्वारा आज दोपहर करीब 12.00 पीएम के आस–पास में रिश्वत राशि का लेन–देन होने की संभावना है। आप निगरानी के लिए विद्युत भवन, जयपुर के पास पहुॅचे। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप टीम व पूर्व के पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान को तलब कर उन्हें गोपनीय सूत्र सूचना व की जाने वाली कार्यवाही से अवगत करवा कर गवाह बनने की सहमति चाहे जाने पर उक्त दोनों गवाहान द्वारा पृथक–पृथक अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात समय 11.00 पर मन् निरीक्षक पुलिस रघुवीर शरण शर्मा मय स्वतंत्र गवाहान मय श्री अमित ढाका कानि0 489, श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 334, श्री हिमान्शु शर्मा, कनिष्ठ सहायक व श्रीमती निधि महिला कानि0 86 मय सरकारी वाहनों के मय लेपटॉप प्रिंटर मय ट्रेप बॉक्स के उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार विद्युत भवन,जयपुर को रवाना होकर 11.20एएम पर विद्युत भवन के पास पहुंचकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री लक्ष्मण नारायण से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया तो उन्होने स्वंय का तकनीकी शाखा, एसीबी, जयपुर की टीम के साथ विद्युत भवन के मुख्य द्वार के पास उपस्थित होना बताया, जिसपर मन् पुलिस निरीक्षक ने वाहन को रोड के साईड में खडा करवाकर श्री लक्ष्मण कानि. से जाकर सम्पर्क किया, तो श्री लक्ष्मण हैड कानि. ने बताया कि तकनीकी शाखा से उपलब्ध सूचना के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति अभी कुछ देर में विद्युत भवन पहुचने वाला है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराह जाब्ता के विद्युत भवन में एवं बाहर निगरानी रखी गई। समय 01.10पीएम तत्पश्चात दोपहर समय 01.10 बजे एक व्यक्ति स्लेटी कलर की क्रैटा कार नम्बर आरजे 06 सीजी 5111 लेकर विद्युत भवन के सामने स्लीप लेन पर आकर गाडी पार्क की जिसे देखकर श्री लक्ष्मण हैड कानि. ने बताया कि यह व्यक्ति ही संदिग्ध व्यक्ति है जिसका नाम कल्पवन व्यास है। उक्त कार की निगरानी हेतु श्री अमित ढाका कानि0 को मामूर किया एवं संदिग्ध की निगरानी मन पुलिस निरीक्षक व जाप्ता द्वारा प्रारम्भ की गई। श्री हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ सहायक ने मन निरीक्षक पुलिस को आकर बताया कि उक्त संदिग्ध व्यक्ति अपनी केटा से कार से उतर कर पैदल चलते हुए विद्युत भवन में प्रवेश किया तथा कुछ समय बाद उक्त संदिग्ध अधिकारी पुनः बाहर आकर एक व्हाईट कलर की हुन्डई कम्पनी की आई 10 कार जिसका नम्बर आरजे–14–क्यूसी–4768 जो गाडी पहले से ही खडी थी, उक्त गाडी में श्री कल्पवन जाकर बैठ गया एवं उक्त गाडी में एक महिला भी पहले से ड्राईवर सीट पर बैठी हुई थी, जिससे कुछ बात कर तथा अपने हाथ से गाडी में कुछ रखकर तत्काल ही गाडी से उतरकर पुनः विद्युत भवन के गैट पर पहुंच गया। इसके बाद श्री कल्पवन विद्युत भवन के अन्दर आकर वापिस एक अन्य व्यक्ति को साथ लेकर बाहर की तरफ आने लगा, श्री लक्ष्मण हैडकानि ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री कल्पवन व्यास के साथ जा रहा व्यक्ति संदिग्ध अधिकारी कुंज बिहारी गुप्ता, अधिशाषी अभियंता है जिनके मध्य श्री जिनन जैन, अधिशाषी अभियंता की उदयपुर में ही पोस्टिंग कराने के एवज में रिश्वती राशि का लेन–देन होना है, श्री लक्ष्मण हैडकानि की उक्त सूचना पर मय पुलिस निरीक्षक मय हमराह जाब्ता के उक्त दोनो संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा करते हुये विद्युत भवन के सामने रोड पर पहुचें। जहा श्री कल्पवन व्यास अपने साथ आये संदिग्ध अधिकारी के साथ विद्युत भवन के सामने स्लीप लेन में खडी अपनी क्रेटा कार में पीछे की सीट पर जाकर बैठ गये, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय टीम के गाडी के आस पास खडे होकर उनके कार से बाहर आने का इन्तजार करने लगे, समय करीब 1.25 पीएम पर उक्त श्री कुंज बिहारी गुप्ता कार से बाहर आये जिसके हाथ में एक पीले रंग का केरी बैग था जिसे अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायी साईड की जेब में रखकर रवाना होने लगा जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराह जाब्ता के उसके पास पहुंच कर उसे अपना एवं हमराह जाब्ता का परिचय देकर उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम कुंज बिहारी गुप्ता पुत्र स्व0 श्री लड्डूराम गुप्ता, उम्र 55 साल, जाति महाजन, निवासी ग्राम बरनाला, तहसील एवं थाना बामणवास, जिला सवाईमाधोपुर हाल निवासी–16, राधा विहार, प्रताप नगर, पुलिस थाना प्रताप नगर, जयपुर हाल अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0 विद्युत भवन, जयपुर मोबाइल नम्बर 94133–82625 होना

बताया। जिसपर उसे पूछा कि आपने अभी–अभी आपके साथ आये व्यक्ति से कोई रिश्वती राशि ली है तो श्री कुन्ज बिहारी गुप्ता घबरा गये एवं चुप हो गये, पुनः तसल्ली देकर पूछने पर रोने लगे एवं कहा कि मै मर गया मेरी बेटी की शादी करनी है, हे राम मै क्या करू, जिस पर उसे तसल्ली देकर वाहन में बैठाया तथा पूछने पर बताया कि मै कल्पवन को पहले से जानता हुं, इसने अभी कुछ दिन पहले मुझे जरिये दूरभाष बताया कि उदयपुर में एक एईएन का एक्सईएन के पद पर प्रमोशन हुआ है उक्त एक्सईएन का पदस्थापन उदयपुर में ही कराना है, एक्सईएन का नाम जीनन जैन है तथा इस पदस्थापन के लिये सवा दो लाख रूपये दे दुंगा, चुंकि श्री कल्पवन व्यास मेरा पहले से जानकार है इसलिये मैंने उनके कहने पर श्री जीनन जैन के पदस्थापन के लिये श्री पृथ्वीसिंह सहायक सचिव, विद्युत भवन, जयपुर से बात की तो श्री पृथ्वीसिंह जी ने कहा कि कर देंगे, इस पर पिछले शनिवार को श्री कल्पवन व्यास ने मुझे एक लाख रूपये एडवान्स के तौर पर दिये थे, जो मैने उसी दिन गोविन्ददेवजी मन्दिर जाने के दौरान श्री पृथ्वीसिंह जी को दे दिये थे, शेष पैसे देने का समय निश्चित नही था। इन्होने आज आकर अभी एक लाख पच्चीस हजार रूपये गाडी में बैठाकर दिये है जो मैने अपनी जेब में रख लिये है। इसके पश्चात कार में बैठे दूसरे व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम कल्पवन व्यास पुत्र श्री नन्द किशोर व्यास, जाति– ब्राहम्ण, उम्र–42, निवासी– ए–96, सुभाष नगर, भीलवाडा हाल ठेकेदार, गीतान्जली ईलेक्ट्रीकल्स, भीलवाडा होना बताया है। श्री कल्पवन व्यास को श्री कुंज बिहारी, अधिशाषी अभियंता को दी गई रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो बताया कि मै ठेकेदारी का काम करने के कारण श्री विपिन चौहान, जो विद्युत विभाग, उदयपुर में जेईएन के पद पर पदस्थापित है, को जानता हुँ। श्री विपिन चौहान ने मुझे करीब एक–दो माह पूर्व उदयपुर मिलने पर कहा कि मेरे परिचित श्री जीनन जैन है इनका अभी एईएन से एक्सईएन के पद पर प्रमोशन हुआ है तथा उनका वर्ष 2016 में एक्सीडेन्ट हो गया था जिससे वो काफी परेशान है, इसलिये आपकी कोई जानकारी होतो इनका पदस्थापन उदयपुर सिटी की पोस्ट पर करवाओं। इसके लिये जो भी खर्चा होगा मै आपको दे दुंगा। श्री विपिन चौहान के कहने पर मैंने श्री कुन्ज बिहारी गुप्ता, एक्सईएन साहब से बात की तो इन्होंने मुझे बताया कि पोस्टिंग में तीन लाख का खर्चा आयेगा। तब श्री विपिन ने बताया कि श्री जिनन जैन ने दो–सवा दो लाख रूपये तक पैसे देने के लिए कहा था। इस पर मैंने कहा कि मैं श्री पृथ्वी सिंह, सहायक सचिव जी से बात करके आपको बता दूंगा, इसके बाद इनके कहने पर मैंने श्री विपिन चौहान को उक्त बात बतायी तो श्री विपिन चौहान ने मुझे कुछ दिन पहले एक लाख रूपये दिये थे, जो मैने विगत शनिवार को जयपुर आकर श्री कुन्ज बिहारी गुप्ता को विद्युत भवन के बाहर मुलाकात कर उक्त राशि दे दी थी, इसके बाद शेष राशि देने हेतु आज विद्युत भवन आया एवं इनसे मिलने से पूर्व मेरे ठेकेदारी से कार्य से सम्बन्धित कई पत्रावलिया एप्रुवल के लिये श्रीमति ममता मैडम जो कि एक्सईएन, डिजाईन है, के मार्फत पास होती है, जिसमें इनके पास से फाईले उच्च अधिकारियों को अनुमोदन हेतु जाती है, मेरे उक्त कार्य के लिये बतौर उपहार (गिफ्ट) देने के लिये इनसे विद्युत भवन परिसर के बाहर अभी कुछ देर पहले मिला तथा उनकी कार में बैठ कर मैंने पचास हजार रूपये बतौर उपहार दिये तो उन्होंने कहा कि कल्पवन जी इसकी क्या जरूरत है, तो मैंने कहा मैडम गिफ्ट है और यह कहते हुये पचास हजार रूपये की राशि गाडी संख्या आरजे 14 क्यूसी 4768 के अन्दर हैन्ड ब्रैक के पास रखकर उतर गया। इसके बाद मैं विद्युत भवन के पास आते हुये श्री कुन्ज बिहारी गुप्ता को फोन किया तो वो मुझे गेट पर ही मिल गये, श्री कुन्ज बिहारी गुप्ता को साथ लेकर विद्युत भवन के सामने स्लीप लेन पर खडी मेरी गाडी में आकर पीछे की सीट पर बैठ गये और उक्त राशि एक लाख पच्चीस हजार रूपये इनको एक कैरी बैग में डालकर दे दिये, जो इन्होंने अपने हाथ में लेकर गाडी से बाहर उतर गए, इतने में आप लोग आ गये। इसके पश्चात मौके पर उपस्थित गवाह श्री नमोनारायण मीणा से श्री कुन्ज बिहारी गुप्ता की पहनी हुई पेंट की बायी साईड की जेब में रखी हुई पीले कलर के केरी बैग को निकलवाकर चैक करवाया गया तो उक्त बैग पर बाबुजी श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, कालेज रोड, डुंगरपुर लिखा हुआ है। दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त कैरी बैग को चैक करवाने पर कैरी बैग से पांच–पांच सौ रूपये के नोटों के रबड लगे हुये तीन बन्डल निकालकर पेश किये जिनको गवाहान से गिनवाने पर पांच–पांच सौ रूपये के तीन बण्डल जिनमें दो बण्डलों में 100–100 नोट व एक बण्डल में 50 नोट पांच–पांच सौ रूपये के मुल 250 नोट कुल राशि एक लाख पच्चीस हजार रूपये होना बताया, उक्त राशि को कैरी बैग में रखवाकर स्वतंत्र गवाह श्री नमोनारायण मीणा के पास रखवाया गया। चूंकि अभी कार्यालय में लंच का समय हो चुका है तथा काफी कर्मचारियों की आसपास भीड हो गई है तथा श्री कल्पवन द्वारा पचास हजार रूपये की राशि श्रीमति ममता मेहता, अधिशाषी अभियन्ता की कार में रखी गई है जिसे बरामद की जानी है। कार्यवाही की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए श्री कुन्ज बिहारी गुप्ता एक्सईएन को सरकारी वाहन से श्री राहुल कानि. व श्री देवेन्द्र

कानि. के साथ एसीबी कार्यालय भिजवाया गया तथा मौके पर उपस्थित श्री कल्पवन व्यास से जरिये दूरभाष श्रीमती ममता मेहता, अधिशाषी अभियंता–डिजायन को फोन करवाया तो श्रीमती ममता मेहता ने लंच के बाद सवा दो बजे तक कार्यालय आने के लिये कहा, जिस पर श्रीमती ममता मेहता के आने का इन्तजार किया गया। श्री कल्पवन व्यास ने बताया कि मैडम कमरा नम्बर 326 में बैठती है। इस पर मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उक्त कमरा के आस–पास उपस्थिति छिपाते हुए मुकिम हुए। समय करीब सवा दो बजे एक महिला विद्युत भवन में कमरा नं. 326 के सामने उपस्थित आयी, जिसे देखकर श्री कल्पवन व्यास ने बताया कि यही ममता मैडम है। इस मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उक्त महिला के पास पहुंच कर उसे स्वयं व हमराहीयान का परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना नाम ममता मेहता पत्नि डॉ0 अश्विनी बाली, उम्र 51 साल, जाति ब्राहम्ण, निवासी आर–2/2, चम्बल कालोनी, हवासडक जयपुर हाल अधिशाषी अभियंता–डिजायन, कार्यालय अधीक्षण अभियंता–डिजायन, राज0 राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर मोबाइल नम्बर 94133–82602 होना बताया। जिसपर उन्हे श्री कल्पवन व्यास कि ओर इशारा कर पूछा कि आपने कुछ समय पहले इनसे पैसे लिये है तो उन्होने बताया कि श्री कल्पवन व्यास अभी कुछ देर पहले मुझे फोन करके बात की तो मैंने कहा कि मैं लंच के लिए निकल चुकी है तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे जरूरी काम है। जिस पर ये मुझे विद्युत भवन के पास मिल गये जहां इनसे बात करने के लिए कार का शीशा नीचे किया लेकिन तब तक इन्होंने दरवाजा खोल कर गाडी के अंदर बैठ गये। इसपर मैंने कहा कि बताओ क्या काम हैं तथा यह भी बताया कि सीटीपीटी की अप्रूवल की फाईल मैंने कल ही निकाल दी। इसके बाद ये वापस कार से उतर गये। इसके मौके पर श्री कल्पवन व्यास ने मन निरीक्षक पुलिस को इत्तला दी कि मैंने श्रीमती ममता मेहता को अभी कुछ देर पहले 50000/–रूपये इनकी गाडी में इनको गिफ्ट के रूप दिये थे जो गाडी में हैण्डब्रेक के पास रखे थे। उक्त 50,000/–रूपये एवं गाडी मै आपको साथ चल कर बता सकता हूं। जैर हिरासत श्री कल्पवन व्यास द्वारा दी गई इत्तिला को तस्दीक किया जाना आवश्यक होने से पृथक से फर्द इत्तिला अन्तर्गत धारा 27, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मुर्तिब की गई। इत्तला की तस्दीक हेतु श्री कल्पवन व्यास व श्रीमती ममता मेहता, अधिशाषी अभियंता को साथ लेकर रवाना हुए। श्री कल्पवन व्यास सभी को साथ लेकर आगे आगे चलकर श्रीमती ममता मेहता एक्सईएन की कार नम्बर आरजे–14–क्यूसी–4768 जो कि विद्युत भवन परिसर में पीछे की ओर पार्किंग एरिया में खड़ी थी, के पास लेकर जाकर बताया कि यही वो कार है जिसमें श्रीमती ममता मेहता, अधिशाषी अभियंता को मैंने अभी कुछ देर पहले 50,000/–रूपये दिये है। इस पर श्रीमती ममता मेहता से कार को खुलवाया गया तो श्री कल्पवन व्यास ने कार के अंदर हैण्डब्रेक के पास रखी एक प्लास्टिक की थैली की ओर ईशारा कर बताया कि इसी प्लास्टिक की थैली में मैंने मैडम को 50,000/–रूपये दिये थे। इस पर उक्त प्लास्टिक की थैली को गवाह श्री मोहम्मद अली से उठवाया जाकर गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के सौ नोट कुल 50,000/–रूपये होना पाये गये। उक्त राशि को प्लास्टिक की थैली में रखवा कर श्री मोहम्मद अली के पास सुरक्षित रखवाये। श्रीमती ममता मेहता ने पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि इन्होंने मेरी कार में 50,000/–रूपये कब रख दिए मुझे ध्यान नहीं है। मैं अपने घर भी जाकर लंच करके आयी हूं। इसी दौरान श्री कुंजबिहारी गुप्ता को लेकर श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 विद्युत भवन आये। इसके बाद श्रीमती ममता मेहता, अधिशाषी अभियंता, श्री कल्पवन व्यास एवं श्री कुंजबिहारी गुप्ता तथा हमराह स्टाफ को साथ लेकर श्री के.बी.गुप्ता, अधिशाषी अभियंता के कक्ष में लेकर आये। इसके पश्चात् गवाह श्री मोहम्मद अली, क0सहायक से श्री कल्पवन व्यास, ठेकेदार की कार में रखे मिले हल्के लाल रंग के लेदर बैग की तलाशी लिवाई तो उक्त बैग में एक सफेद रंग का एचपी (HEWLETT-PACKARD) कम्पनी सीरियल नम्बर 5सीडी61873एचवाई, एक काले रंग की डायरी एवं नकद राशि 500–500रूपये के 56 कुल 28,000/–रूपये पाये गये। उक्त के अलावा बैग में श्री कल्पवन व्यास की फर्म से संबंधित रबर स्टाफ, बिल के कागज एवं कुछ रोजमर्रा की दवाईया पायी गई। चूंकि श्री पृथ्वीसिंह, सहायक सचिव को भी श्री कुंजबिहारी गुप्ता, अधिशाषी अभियंता द्वारा पूर्व में कल्पवन व्यास से प्राप्त 1.00लाख रूपये देना बताया गया है। जिसको लाने को लिये श्री देवेन्द्र सिंह, कानि0 को हिदायत देकर कमरा नम्बर 214 में भेजा गया, जिसने आकर बताया कि श्री पृथ्वी सिंह अपने कमरे में मौजूद नहीं है तथा स्टाफ से पूछने पर उनका आज अवकाश पर होना अवगत कराया है। इस कारण श्री कुंजबिहारी गुप्ता, अधिशाषी अभियंता एवं श्री पृथ्वीसिंह, सहायक सचिव का आमना सामना करवाकर पूछताछ किया जाना संभव नहीं है। उक्त कार्यवाही में श्री के.बी.गुप्ता, अधिशाषी अभियंता की पहनी हुई पेंट की बांयी साईड की जेब से बरामदशुदा रिश्वती राशि 1,25,000/–रू0, श्रीमती ममता मेहता की कार से बरामदशुदा राशि 50,000/–रूपये एवं श्री

कल्पवन व्यास, ठेकेदार के बैग से मिली संदिग्ध राशि 28,000/–रूपये को पृथक पृथक एवं बैग से मिली डायरी को कब्जा एसीबी लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। श्री कल्पवन व्यास के बैग से मिली एचपी लैपटाप को कब्जा एसीबी लिया गया एवं लैपटॉप को अनुसंधान हेतु उसे खुला रखा गया। इसके बाद श्री कुंजबिहारी गुप्ता, अधिशाषी अभियंता एवं श्री कल्पवन व्यास ठेकेदार के मोबाइल फोन प्राप्त कर उन्हें श्री लक्ष्मण शर्मा, हैड कानि0 15 से चैक करवाया गया तथा उक्त दोनों मोबाइल हैण्डसेट में आपस में दोनों के बीच हुई चैटिंग होना पाया गया। उक्त दोनों के मोबाइलों में मौजूद वाट्सअप चैटिंग एवं दोनों मोबाइल हैण्ड सेटो के आईएमईआई नम्बरों की श्री लक्ष्मण शर्मा, हैड कानि0 15 द्वारा फोटो ली जाकर उनका प्रिन्ट प्राप्त कर मन निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया जिस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फर्द किया गया। श्री के.बी. गुप्ता, अधिशाषी अभियंता एवं श्री कल्पवन व्यास के मोबाइल हैण्डसेट की आईन्दा एफएसएल जयपुर से जांच उपरांत तकनीकी डाटा प्राप्त किया जाना है, इसलिए उक्त दोनों मोबाइल फोन को पृथक से जरिये फर्द कब्जा एसीबी लिया गया।

अब तक की कार्यवाही से श्री कुंज बिहारी गुप्ता पुत्र स्व0 श्री लड्डूराम गुप्ता, उम्र 55 साल, जाति महाजन, निवासी ग्राम बरनाला, तहसील एवं थाना बामणवास, जिला सवाईमाधोपुर हाल निवासी–16, राधा विहार, प्रताप नगर, पुलिस थाना प्रताप नगर, जयपुर हाल अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0 विद्युत भवन, जयपुर मोबाइल नम्बर 94133382625 द्वारा कल्पवन व्यास पुत्र श्री नन्द किशोर व्यास, जाति– ब्राहम्ण, उम्र–42, निवासी– ए–96, सुभाष नगर, भीलवाडा हाल ठेकेदार, गीतान्जली ईलेक्ट्रीकल्स, भीलवाडा व अन्य के साथ आपसी मिलीभगत कर श्री कल्पवन व्यास फर्म गीतांजली इलेक्ट्रिकल्स की स्वयं और आरआरवीपीएनएल में कार्य कर रहे अन्य ठेकेदारों के कार्यों को अनुचित संरक्षण प्रदान करने के लिए अवैद्य संरक्षण प्रदान करते हुए रिश्वत राशि प्राप्त करने एवं विभाग में पदस्थापित अभियंताओं के स्थानान्तरण के लिये भी अन्य कार्मिकों से रिश्वत राशि प्राप्त की जाकर श्री जिनन जैन, अधिशाषी अभियंता के प्रमोशन पर उसे उदयपुर में ही पदस्थापित करवाने की एवज में 1,25,000/–रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की बांयी साईड की जेब में रख लिये, जहां से बरामद की गई एवं श्री कल्पवन व्यास द्वारा अपनी फर्म से संबंधित कार्यों की अप्रूवल के लिए श्रीमती ममता मेहता, अधिशाषी अभियंता–डिजायन को बतौर रिश्वत 50,000/–रूपये की राशि उनकी कार में रखना जहां से दौराने कार्यवाही उक्त राशि बरामद होना पाया गया। आरोपीगण श्री कुंजबिहारी गुप्ता, अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर एवं श्री कल्पवन व्यास, ठेकेदार फर्म गीतांजली इलेक्ट्रिकल्स, भीलवाड़ा एवं अन्य का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 व 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 एवं 120बी भा0द0सं का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपीगण श्री कुंजबिहारी गुप्ता, अधिशाषी अभियंता एवं श्री कल्पवन व्यास को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया किया गया। दोनों आरोपीगण श्री कुंजबिहारी गुप्ता, अधिशाषी अभियंता एवं श्री कल्पवन व्यास को अपनी नमूना आवाज वास्ते परीक्षण उपलब्ध कराने हेतु कहा गया जिस पर दोनों ने लिखित में असहमति दी। कार्यवाही के दौरान श्री कुंज बिहारी गुप्ता, अधिशाषी अभियंता, आरवीपीएनएल, जयपुर के कार्यालय कक्ष में लगे कम्प्यूटर, जिसमें आरोपी श्री कल्पवन व्यास, ठेकेदार की फर्म अन्य ठेकेदार फर्मों से संबंधित कार्यों एवं निगम कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा होने की पूर्ण सम्भावना होने से उक्त कम्प्यूटर की हार्ड डिस्क को खुलवाकर बतौर वजह सबूत जब्त किया गया, जिसकी फर्द जब्ती पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। चूंकि उक्त कार्यवाही में रिश्वती राशि का लेन देन आरोपी श्री कल्पवन व्यास, ठेकेदार की केटा कार में तथा श्रीमती ममता मेहता की कार में किया गया है, इसलिए श्री कल्पवन व्यास की कार हुंडई केटा नम्बर आरजे–06–सीजी–5111 एवं श्रीमती ममता मेहता अधिशाषी अभियंता–डिजाईन की कार हुंडई ग्रांड आई–10 नम्बर आरजे–14– क्यूसी–4768 को बतौर वजह सबूत पृथक से जरिये फर्द कब्जा एसीबी ली गई। घटना स्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। दोनों आरोपीगण श्री कुंजबिहारी गुप्ता, अधिशाषी अभियंता एवं श्री कल्पवन व्यास के मोबाइल फोन मौके पर जरिये फर्द जब्ती कब्जा एसीबी लिये गये। संदिग्ध श्री पृथ्वीसिंह, सहायक सचिव को जरिये टेलीफोन मोबाइल नम्बर 80944–48777 पर वार्ता कर तलब किया गया तो श्री पृथ्वी सिंह ने कहा कि परिवार में शादी होने से मैं अभी नहीं आ सकता, कल दिनांक 08.02.2023 को आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। ट्रैप की कार्यवाही समय 10.00 पीएम पर पूर्ण की गई। समस्त कार्यवाही पूर्ण कर मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान एवं गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री कुंजबिहारी गुप्ता एवं श्री कल्पवन व्यास मय जब्तशुदा रिश्वती राशि, दस्तावेजात एवं आर्टिकल्स आरोपी श्री कल्पवन की केटा कार जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे–06 सीजी

5111 बरंग स्लेटी ईस्तेमाली एवं श्रीमती ममता मेहता की कार हुण्डई कम्पनी की आई 10 जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे–14 क्यूसी 4768 बरंग सफेद ईस्तेमाली तथा सरकारी वाहनों के मय लेपटॉप प्रिंटर मय ट्रेप बॉक्स के कार्यालय निदेशक (आपरेशन) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,जयपुर से रवानाशुदा एसीबी कार्यालय उपस्थित आया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। जब्तशुदा रिश्वती राशि एवं आर्टिकल्स को आईन्दा पृथक से जमा मालखाना करवाया जाने हेतु सुरक्षित रखा गया। आरोपी श्री कल्पवन की क्रेटा कार जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे–06 सीजी 5111 बरंग स्लेटी ईस्तेमाली एवं श्रीमती ममता मेहता की कार हुण्डई कम्पनी की आई 10 जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे–14 क्यूसी 4768 बरंग सफेद ईस्तेमाली को सुरक्षार्थ ब्यूरो हाजा के नये भवन में सुरक्षित खड़ा करवाया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 08.02.2023 को कार्यालय समय पर उपस्थित ब्यूरो आने की हिदायत कर रूखसत किया गया।

दिनांक 08.02.2023 को समय 9.30एएम पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि.262, श्री भंवर लाल कानि.414 एवं श्री मनोज कुमार कानि.चालक 23, चौकी भ्रनिब्यूरो, राजसमन्द ने श्री जिनन जैन तथा श्री विपिन कुमार को लाकर पेश किया तथा आरोपी श्री जिनन जैन तथा विपिन कुमार के रहवासी मकान की ट्रेप कार्यवाही के दौरान ली गई खाना तलाशी की मूल फर्दें एवं खाना तलाशी के दौरान जप्त किये गये दस्तावेज एवं आर्टिकल्स पेश किये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उन्होने अपने नाम पत्ते क्रमशः 1– श्री जिनन जैन पुत्र स्व. श्री नटवर लाल, जाति–जैन उम्र–54 वर्ष निवासी–मकान नम्बर–117ए, शास्त्रीनगर, नियर 2 ब्लॉक सेक्टर–14,उदयपुर हाल–अधिषाशी अभियन्ता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,उदयपुर तथा दूसरे ने श्री विपिन कुमार पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद, जाति–राजपुत उम्र–39 वर्ष मूल निवासी–निकट सरकारी अस्पताल, मौहल्ला भूपसिंह, जीजीआईसी रोड़,जसपुर जिला–उधमसिंह नगर,उत्तराखण्ड हाल निवासी–सरकारी आवास क्वार्टर नम्बर–आर 4/1,न्यू आरएसईबी कॉलोनी,चित्रकुट नगर,उदयपुर हाल–कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय 132 केवी जीएसएस सुखेर उदयपुर, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,उदयपुर होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक ने मौतबिरान के समक्ष एसीबी चौकी उदयपुर द्वारा आरोपी श्री जिनन जैन के रहवासी मकान की खाना तलाशी के दौरान कब्जा एसीबी लिया गया एक मोबाईल फोन वीवो कम्पनी का पेश किया उक्त मोबाईल फोन में मौजूद संदिग्ध वाट्सअप चैटिंग होने से मोबाइल हैण्डसेट की आईन्दा एफएसएल जयपुर से जांच उपरांत तकनीकी डाटा प्राप्त किया जाना है, इसलिए उक्त उक्त मोबाइल फोन वीवो कम्पनी का बरंग गोल्डन जिसके आईएमईआइ नं. 866946033557296 एवं 866946033557288 हैं, मोबाईल फोन के नम्बर लॉक लगा हुआ है जिसके पासवर्ड 0000 हैं। जिसमें दो सिम लगी हुई जिसके नम्बर क्रमशः 7597964712 व 9413382067 होना बताया। उक्त फोन श्री जिनन जैन द्वारा उपयोग किया जाने पर ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री कुंज बिहारी गुप्ता, अधिषाशी अभियन्ता,हाल प्रावेधिक सहायक कार्यालय निदेशक (आपरेशन) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,जयपुर एवं अन्य में वांछित होने पर उक्त मोबाईल कार्यवाही में बतौर वजह सबूत होने से जरिये फर्द जब्त कर सील्ड किया गया। दोनों आरोपीगण श्री जीनन जैन, अधिशाषी अभियंता एवं श्री विपिन कुमार, कनिष्ठ अभियंता को अपनी नमूना आवाज उपलब्ध कराने हेतु कहा जाने पर दोनों ने लिखित में असहमति प्रकट की। जिसकी पृथक से फर्द मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। श्री जिनन जैन, अधिषाशी अभियन्ता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,उदयपुर एवं श्री विपिन कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय 132 केवी जीएसएस सुखेर उदयपुर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,उदयपुर के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही से जुर्म धारा 7, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) एवं 120बी भारतीय दण्ड संहिता में प्रथम दृष्टया घटित पाया जाने पर दोनों को उनके जुर्म से आगाह कर हस्ब कायदा अपने संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही से श्री कुंज बिहारी गुप्ता पुत्र स्व0 श्री लड्डूराम गुप्ता, उम्र 55 साल, जाति महाजन, निवासी ग्राम बरनाला, तहसील एवं थाना बामणवास, जिला सवाईमाधोपुर हाल निवासी–16, राधा विहार, प्रताप नगर, पुलिस थाना प्रताप नगर, जयपुर हाल अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0 विद्युत भवन, जयपुर मोबाइल नम्बर 94133382625 द्वारा कल्पवन व्यास पुत्र श्री नन्द किशोर व्यास, जाति– ब्राहम्ण, उम्र–42, निवासी– ए–96, सुभाष नगर, भीलवाडा हाल ठेकेदार, गीतान्जली ईलेक्ट्रीकल्स, भीलवाडा व अन्य के साथ आपसी मिलीभगत कर श्री कल्पवन व्यास फर्म गीतांजली इलेक्ट्रिकल्स की स्वयं और आरआरवीपीएनएल में कार्य कर रहे अन्य ठेकेदारों के कार्यों को अनुचित संरक्षण प्रदान

करने के लिए अवैद्य संरक्षण प्रदान करते हुए रिश्वत राशि प्राप्त करने एवं विभाग में पदस्थापित अभियंताओं के स्थानान्तरण के लिये भी अन्य कार्मिकों से रिश्वत राशि प्राप्त की गई। आरोपी श्री जिनन जैन पुत्र स्व. श्री नटवर लाल, जाति–जैन उम्र–54 वर्ष निवासी–मकान नम्बर–117ए, शास्त्रीनगर, नियर 2 ब्लॉक सेक्टर–14,उदयपुर हाल–अधिषाशी अभियन्ता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,उदयपुर ने अपने परिचित आरोपी श्री विपिन कुमार पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद, जाति–राजपुत उम्र–39 वर्ष मूल निवासी–निकट सरकारी अस्पताल, मौहल्ला भूपसिंह, जीजीआईसी रोड़,जसपुर जिला–उधमसिंह नगर,उत्तराखण्ड हाल निवासी–सरकारी आवास क्वार्टर नम्बर–आर 4/1,न्यू आरएसईबी कॉलोनी,चित्रकुट नगर,उदयपुर हाल–कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय 132 केवी जीएसएस सुखेर उदयपुर, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,उदयपुर के मार्फत स्वयं के अधिशाषी अभियंता के पद पर प्रमोशन होने पर स्वयं को पुनः उदयपुर में ही पदस्थापित करवाने की एवज में 2,25,000/–रूपये बतौर रिश्वत तय कर श्री विपिन कुमार, कनिष्ठ अभियंता के परिचित श्री कल्पवन व्यास, ठेकेदार मध्यस्थ से सम्पर्क कर उसे प्रदान किये, जिनमें से आरोपी श्री कल्पवन व्यास, ठेकेदार मध्यस्थ द्वारा 1,00,000/–रूपये आरोपी श्री कुंजबिहारी गुप्ता, अधिशाषी अभियंता को पूर्व में देते हुए दौराने कार्यवाही दिनांक 07.02.2023 को 1,25,000/–रूपये ओर दिये जाने पर आरोपी श्री कुंज बिहारी गुप्ता द्वारा प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की बांयी साईड की जेब में रख लिये, जहां से बरामद की गई एवं श्री कल्पवन व्यास द्वारा अपनी फर्म से संबंधित कार्यों की अप्रूवल के लिए श्रीमती ममता मेहता, अधिशाषी अभियंता–डिजायन को बतौर रिश्वत 50,000/–रूपये की राशि उनकी कार में रखना जहां से दौराने कार्यवाही उक्त राशि बरामद होना पाया गया। आरोपीगण श्री कुंजबिहारी गुप्ता, अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर एवं श्री कल्पवन व्यास, ठेकेदार फर्म गीतांजली इलेक्ट्रिकल्स, भीलवाड़ा, श्री जिनन जैन, अधिषाशी अभियन्ता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,उदयपुर एवं श्री विपिन कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय 132 केवी जीएसएस सुखेर उदयपुर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,उदयपुर, श्रीमती ममता मेहता पत्नी डा. अश्वनी बाली,उम्र–51 वर्ष जाति–ब्राहमण निवासी–आर 2/2 चम्बल कॉलोनी,हवा सड़क पुलिस थाना सोडाला जयपुर हाल–अधिषाशी अभियन्ता (डिजायन) कार्यालय एसई डिजाइन,राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,जयपुर, श्री पृथ्वीसिंह पुत्र श्री किशन सिंह, उम्र–55 वर्ष निवासी–आर–3/13, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमि.कॉलोनी हीरापुरा, जयपुर एवं अन्य का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 8 व 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 एवं 120बी भा0द0सं का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है।

(रघुवीर शरण शर्मा)
निरीक्षक पुलिस
विशेष अनुसंधान ईकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 8 व 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा0दं0सं0 में आरोपीगण 1. श्री कुंजबिहारी गुप्ता, अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर 2. श्री कल्पवन व्यास, ठेकेदार फर्म गीतांजली इलेक्ट्रिकल्स, भीलवाड़ा, 3. श्री जिनन जैन, अधिषाशी अभियन्ता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, उदयपुर 4. श्री विपिन कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय 132 केवी जीएसएस सुखेर उदयपुर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, उदयपुर, 5. श्रीमती ममता मेहता पत्नी डा. अश्वनी बाली, हाल-अधिषाशी अभियन्ता (डिजायन) कार्यालय एसई डिजाइन, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर, 6. श्री पृथ्वीसिंह पुत्र श्री किशन सिंह, निवासी-आर-3/13, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमि.कॉलोनी हीरापुरा, जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 32/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9.2.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः-245-48 दिनांक 9.2.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1 जयपुर।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

9.2.23
पुलिस अधीक्षक प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।